पटना में दिनांक–08 मई, 2018 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	ग्रामीण कार्य विभाग	
1.	श्री सरवर अंजुम, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी अवनति की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	1. **स्वीकृत।**
	ग्रामीण कार्य विभाग	
2.	श्री राधेश्याम राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(viii) के तहत सहायक अभियंता के उच्चतम वेतन प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	2. **स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
3.	अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अनुमण्डल के अंचल–फारबिसगंज, मौजा–अड़राहा मदारगंज, थाना नं०–22/1, खाता नं०–581, खेसरा नं०–1699, रकबा–11.00 एकड़ बिहार सरकार खास भूमि किस्म पुरानी परती पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	3. **स्वीकृत।**
	वित्त विभाग	
4.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में वित्त विभाग के अंतर्गत गठित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के संचालन हेतु 9.50 करोड़ रूपए की राशि Authorised and Paid up equity के रूप में तथा वर्त्तमान में 100 करोड़ रूपए शिक्षा ऋण हेतु निगम को ऋण के रूप में दिए जाने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	4. **स्वीकृत।**
	पंचायती राज विभाग	
5.	बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	5. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

6. विशेष शाखा के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के 12, पुलिस उपाधीक्षक–22, आशु उपाधीक्षक–01, पुलिस निरीक्षक–14, आशु निरीक्षक–4, पुलिस अवर निरीक्षक–129, आशु अवर निरीक्षक–34, आशु सहायक अवर निरीक्षक–18, चालक हवलदार–04, सिपाही–25, चालक सिपाही–16, अवर निरीक्षक (कम्प्यूटर प्रोग्रामर)–10, सिपाही (कम्प्यूटर के जानकार)– 146, उच्चवर्गीय लिपिक–01, निम्नवर्गीय लिपिक–01, सहित कुल–437 (चार सौ सैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

7. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

8. "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/–(एक हजार रू०) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति। 8. **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

9. राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति। 9. **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

10. पेराई सत्र 2017–18 में राज्य की चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना कृषकों को बढ़े हुए दर से ससमय ईख मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के निमित्त राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2017–18 के लिए ईख क्रय कर (Purchase Tax) की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य के 1.80% से घटाकर 0.20% के रूप में पुनर्निर्धारित करने की स्वीकृति। 10. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

11.	नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के गठन एवं अतिरिक्त पदों के सृजन सहित बिहार राज्य जल पर्षद का सम्पूर्ण रूप से एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एंव आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलय किये जाने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

12.	लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालयों के नलकूप चालक/पम्प ऑपरेटर संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु लघु जल संसाधन विभाग के नलकूप चालक/पम्प ऑपरेटर (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018 की स्वीकृति के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

13.	वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹6392.48 लाख (तिरसठ करोड़ बेरानवे लाख अड़तालीस हजार) मात्र की लागत व्यय पर केन्द्रीय गत योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मरंगा पूर्णियाँ में एन०डी०डी०बी० के सहयोग से नए फ्रोजेन सीमेन स्टेशन की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत Technical Service Fee एवं अन्य कर के साथ एन०डी० डी०बी०, आनन्द को भुगतान राज्य योजना से करने की स्वीकृति।	13.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14.	नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

16.	"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹ 50,000/–(पचास हजार रू०) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/–(एक लाख रू०) का लाभ देने की स्वीकृति।	16	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

17.	केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु "अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना" एवं योजना की मार्गदर्शिका की स्वीकृति के संबंध में।	17	**स्वीकृत।**